अस्वीकरण

हिन्दी में अनुवादित संस्करण मात्र समझ हेतु है और इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और शासकीय उद्देश्यों के लिए, इसका मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001[1]

संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्यपाल दिनांक 7 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 1696/2-4-2001-36(1)-85 के निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन का आदेश देते हैं:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परामर्श से; मौजूदा नियमों के अधिक्रमण में, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में भर्ती और नियुक्ति तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

भाग I

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(i) इन नियमों को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 कहा जा सकता है।

(ii) इन्हें 1 जुलाई, 2000 से प्रवृत्त माना जाएगा।

2. सेवा की स्थिति - उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, एक राज्य सेवा है जिसमें 'समूह क' और 'समूह ख' पद शामिल हैं।

3. सेवा का दायरा- ये नियम उत्तर प्रदेश सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे जिनमें शामिल हैं -

(क) सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), और

(ख) सिविल न्यायालय (सीनियर डिवीजन)

4. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का अर्थ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

---

[1] अधिसूचना संख्या 1696/II-4-2001-36(1)-85, दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा

(ख) "मुख्य न्यायाधीश" का अर्थ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है;

(ग) "भारत का नागरिक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो संविधान के भाग II के तहत भारत का नागरिक है या माना जाता है;

(घ) "आयोग" का अर्थ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ङ) "संविधान" का अर्थ भारत के संविधान से है;

(च) "न्यायालय" का अर्थ इलाहाबाद उच्च न्यायालय से है;

(छ) "निदेशक" का अर्थ उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के निदेशक से है;

(ज) "सरकार" का अर्थ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(झ) "राज्यपाल" का अर्थ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ञ) "संस्थान" का अर्थ न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ से है;

(ट) "सेवा के सदस्य" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे इन नियमों के प्रावधानों या इन नियमों के लागू होने से पहले प्रभावी नियमों के तहत सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो;

(ठ) "अधिकारी" का अर्थ सेवा के एक अधिकारी से है;

(ड) "भर्ती का वर्ष" का अर्थ उस कैलेंडर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन से शुरू होने वाली बारह महीने की अवधि से है, जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाती है;

(ढ) "सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)" का अर्थ है और इसमें शामिल हैं अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और किसी अन्य पदनाम से तैनात सेवा के अन्य सदस्य;

(ण) "सिविल जज (सीनियर डिवीजन)" का अर्थ है और इसमें शामिल हैं लघु वाद न्यायाधीश, अपर लघु वाद न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) और किसी अन्य पदनाम से तैनात सेवा का कोई भी सदस्य।

5. सेवा का गठन - सेवा में शामिल होंगे -

(क) सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन),

(ख) सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन),

(ग) ऐसे अन्य विशेष पद जो संवर्ग में विद्यमान हों, राज्यपाल द्वारा समय-समय पर सृजित किए जाएं या जोड़े जाएं।

भाग II

संवर्ग

6. सेवा की कार्यबल संख्या- (1) सेवा की कार्यबल संख्या और उसमें पदों की प्रत्येक श्रेणी की संख्या वैसी ही होगी जैसा कि राज्यपाल द्वारा समय-समय पर न्यायालय के परामर्श से निर्धारित की जाए।

(2) सेवा की कार्यबल संख्या और उसमें पदों की प्रत्येक श्रेणी, जब तक कि उप-नियम (1) के तहत इस संबंध में पारित आदेश द्वारा परिवर्तित न की जाए, वैसी ही होगी जैसा परिशिष्ट-I में विनिर्दिष्ट है।

(3) राज्यपाल समय-समय पर न्यायालय के परामर्श से, किसी भी पद को खाली छोड़ सकते हैं या स्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, या आवश्यकतानुसार समय-समय पर अतिरिक्त पद, अस्थायी या स्थायी, सृजित कर सकते हैं।

भाग III

भर्ती

7. भर्ती का स्रोत - सेवा में सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पद पर भर्ती, आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक भर्ती वर्ष में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी।

8. आरक्षण[2] **-** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के सदस्यों के लिए सेवा के पदों पर आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण विहित करने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसार होगा:

परन्तु यह कि रिक्तियों का चार प्रतिशत "बेंचमार्क दिव्यांगता" वाले निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) एक प्रतिशत 'लोकोमोटर दिव्यांगता' (जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची में परिभाषित है) की श्रेणी के तहत निम्नलिखित प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए:-

(क) एक हाथ, एक पैर और दोनों पैरों की चलन/लोकोमोटर दिव्यांगता;

(ख) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति;

(ग) बौनापन;

(घ) तेजाब हमले के पीड़ित;

(ii) एक प्रतिशत 'दृष्टि बाधा' (जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची में परिभाषित है) की श्रेणी के तहत 'अल्प दृष्टि' वाले व्यक्तियों के लिए;

(iii) एक प्रतिशत 'श्रवण बाधा' (जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची में परिभाषित है) की श्रेणी के तहत 'ऊंचा सुनने वाले' व्यक्तियों के लिए;

(iv) शेष एक प्रतिशत उपरोक्त खंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए, रोटेशन के आधार पर।

स्पष्टीकरणः- उक्त केंद्रीय अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (घ) और (ङ) में उल्लिखित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए अभिप्रेत रोस्टर अंक, ऊपर उल्लिखित श्रेणियों (i) से (iii) के अभ्यर्थियों को उसी क्रम में आवंटित किए जाएंगे।

परंतु यह और कि केवल वे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जो निम्नलिखित शारीरिक गतिविधियों को करने में सक्षम हों:

---

2 अधिसूचना संख्या 781/दो-4-2022-45(32)/2006, दिनांक 07 नवंबर, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

(क) बैठकर किया जाने वाला कार्य;

(ख) खड़े होकर किया जाने वाला कार्य;

(ग) चलकर किया जाने वाला कार्य;

(घ) देखकर किया जाने वाला कार्य;

(ङ) सुनकर किया जाने वाला कार्य;

(च) पढ़कर और लिखकर किया जाने वाला कार्य;

(छ) संवाद करना (इसमें मौखिक या अमौखिक संवाद भी शामिल होगा)।

भाग IV

अर्हता

9. राष्ट्रीयता - सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को:

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, **या**

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए इंटेलिजेंस विभाग (मुख्यालय), लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है, तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद सेवा में तभी बनाए रखा जा सकता है, यदि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

नोट- कोई अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, किन्तु वह न तो जारी किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या बाद में उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

10. आयु[3] - सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने उस वर्ष, जिसमें आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित करते हुए परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, के आगामी जुलाई के प्रथम दिन को 22 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएँ, से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी;

परन्तु यह और कि जहाँ कोई अभ्यर्थी किसी ऐसे भर्ती वर्ष में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु के अनुसार पात्र था जिसमें ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, उसे अगली आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु के अनुसार पात्र माना जाएगा:

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमन्य अवसरों की अधिकतम संख्या चार होगी।

11. शैक्षणिक अर्हताएं[4] - सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी:

(क) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या इस प्रयोजन के लिए राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना चाहिए; अथवा

---

3 नियम 10 को अधिसूचना संख्या 933/II-4-03-36(1)/85, दिनांक 19 मार्च, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 जून, 2003 को प्रकाशित हुआ, (19-3-2003 से प्रभावी)।

4 नियम 11 को अधिसूचना संख्या 933/II-4-03-36(1)/85, दिनांक 19 मार्च, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 जून, 2003 को प्रकाशित हुआ, (19-3-2003 से प्रभावी)।

(ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत नामांकित अधिवक्ता या इंग्लैंड या उत्तरी आयरलैंड का बैरिस्टर या स्कॉटलैंड में 'फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स' का सदस्य होना चाहिए और न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने का हकदार होना चाहिए;

(ग) देवनागरी लिपि में हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखता हो;

12. चरित्र - सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे राज्यपाल की राय में वह सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्ति या भारतीय विधिज्ञ परिषद् या किसी राज्य की विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने से वंचित किए गए व्यक्ति अथवा भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नैतिक अधमता से युक्त किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए और कारावास से दंडित व्यक्ति, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

13. वैवाहिक स्थिति - ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

14. शारीरिक स्वस्थता - कोई भी अभ्यर्थी सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व, उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता के चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग V

सेवा में भर्ती की प्रक्रिया

15. रिक्तियों का निर्धारण - (1)[5] राज्यपाल, न्यायालय के परामर्श से, भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पदों की रिक्तियों की संख्या और साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेंगे और आयोग को सूचित करेंगे।

(2)[6] भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पदों की रिक्तियों का निर्धारण करते समय, वर्तमान रिक्तियों की संख्या के साथ आगामी एक वर्ष के लिए प्रत्याशित रिक्तियों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

16. प्रतियोगी परीक्षा - परीक्षा ऐसे समय और ऐसी तिथियों पर आयोजित की जाएगी जो आयोग द्वारा अधिसूचित की जाएं और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) प्रक्रिया सहित ऐसे विधिक और संबद्ध विषयों में एक लिखित परीक्षा, जैसा कि नियम 19 के तहत विहित पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, जब तक कि राज्यपाल द्वारा न्यायालय और आयोग के परामर्श से इसमें अन्यथा संशोधन न किया जाए;

(ख) अभ्यर्थियों के हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षा;

(ग) अभ्यर्थी की योग्यता के आकलन के लिए एक साक्षात्कार, जिसमें उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व, शारीरिक गठन और सेवा में नियुक्ति के लिए सामान्य उपयुक्तता पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

17. आवेदन पत्र - (i) प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन, आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में प्रकाशित निर्धारित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

---

5 अधिसूचना संख्या 2189/दो-4-2012-45(32)/2006, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा नियम 15(1) के रूप में प्रतिस्थापित।

6 अधिसूचना संख्या 2189/दो-4-2012-45(32)/2006, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा नियम 15(2) के रूप में प्रतिस्थापित।

18. शुल्क - अभ्यर्थियों को आयोग और मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष को वह शुल्क देना होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

19. पाठ्यक्रम - प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम और नियम वही होंगे जो परिशिष्ट-II में दिए गए हैं, परन्तु यह कि राज्यपाल, आयोग और न्यायालय के परामर्श से पाठ्यक्रम और नियमों में संशोधन कर सकते हैं।

भाग VI

नियुक्ति, परिवीक्षा और पुष्टीकरण

20. आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची - (1) लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार होने के पश्चात, आयोग साक्षात्कार के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाएगा, जिन्होंने आयोग की राय में इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों।

(2) किसी भी नियम या आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, आयोग उप-नियम (1) के तहत बुलाए गए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायालय के एक पदस्थ न्यायमूर्ति को आमंत्रित करेगा और अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में उनके द्वारा दी गई राय की आयोग द्वारा तब तक उपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक कि उस राय को स्वीकार न करने के सशक्त और ठोस कारण न हों, जिन्हें आयोग द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

(3)[7] तत्पश्चात आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम रूप से प्रदान किए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी प्रवीणता के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की एक अंतिम सूची और साथ ही वर्तमान रिक्तियों की 10% की एक प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा।

नोट- प्रतीक्षा सूची अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए श्रेणीवार तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची का उपयोग केवल उसी स्थिति में किया जाएगा, यदि चयन सूची के अभ्यर्थी पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं और इसका उपयोग किसी भी आगामी रिक्तियों के लिए नहीं किया जाएगा:

---

7 नियम 20(3), अधिसूचना संख्या 2189/दो-4-2012-45(32)/2006, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह कि यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी कुल योग में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में बड़े अभ्यर्थी का नाम ऊपर रखा जाएगा:

परन्तु यह भी कि यदि समान आयु के दो या दो से अधिक अभ्यर्थी कुल योग में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उस अभ्यर्थी का नाम ऊपर रखा जाएगा जिसने लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हों।

21. सेवा में नियुक्ति - (1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल, नियम 20 के उप-नियम (3) के तहत आयोग द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर, सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पद पर उसी क्रम में नियुक्ति करेंगे जिस क्रम में उनके नाम सूची में दिए गए हैं, बशर्ते राज्यपाल संतुष्ट हों कि अभ्यर्थी इन नियमों के तहत ऐसी नियुक्ति के लिए अन्यथा अर्ह और हकदार है।

(2) नियम 20 के उप-नियम (3) के तहत तैयार की गई चयन सूची, विज्ञापित या उचित अधिसूचना के बाद परिवर्तित की गई सभी रिक्तियों के भर जाने के पश्चात समाप्त हो जाएगी।

22. प्रशिक्षण - (1) सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के रूप में सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा की अवधि के दौरान न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ या अन्यत्र ऐसी अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करे, जैसा कि न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(2) प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम वह होगा जैसा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति के पूर्व अनुमोदन से निदेशक द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।

(3) प्रशिक्षण की अवधि के अंत में, निदेशक परिवीक्षाधीन अधिकारी के प्रशिक्षण के दौरान उसके आचरण और प्रदर्शन के संबंध में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को भेजेंगे। जहाँ निदेशक की यह राय हो कि किसी अधिकारी ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, वहाँ वे सुसंगत दस्तावेज के साथ अपनी राय न्यायालय को अग्रेषित करेंगे।

(4) उप-नियम (3) में संदर्भित किसी भी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, न्यायालय उस पर विचार करेगा और प्रशिक्षण तथा परिवीक्षा की अवधि के विस्तार सहित उचित आदेश पारित कर सकेगा।

23. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम - (1) न्यायालय सेवा के सदस्यों से ऐसी अवधि के लिए और ऐसे स्थानों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम करने की अपेक्षा कर सकता है, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा निदेशक के परामर्श से तय किया जाए।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम के पश्चात, निदेशक पाठ्यक्रम के दौरान अधिकारियों के आचरण और प्रदर्शन के संबंध में एक रिपोर्ट भेज सकेंगे।

24. परिवीक्षा - (1) सभी व्यक्ति मौलिक रिक्तियों में सेवा में नियुक्ति पर, परिवीक्षा पर रखे जाएंगे। प्रत्येक मामले में परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष होगी।

(2) न्यायालय, विशेष मामलों में, परिवीक्षा की अवधि को एक विनिर्दिष्ट तिथि तक बढ़ा सकेगा।

(3) परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने वाले आदेश में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या ऐसा विस्तार समय-मान में वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा या नहीं।

(4) यदि न्यायालय को परिवीक्षा की अवधि या विस्तारित परिवीक्षा की अवधि, जैसी भी स्थिति हो, के दौरान या उसके अंत में किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या अन्यथा संतोषजनक प्रदर्शन करने में विफल रहा है, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा, जिसके पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा से अवमुक्त कर दिया जाएगा।

(5)[8] ऐसा व्यक्ति जिसकी सेवाएँ उप-नियम (4) के तहत समाप्त कर दी गई हों, किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

25. पुष्टीकरण - (1) किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा की अवधि या विस्तारित परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति में पुष्ट किया जा सकेगा। पुष्टीकरण करते समय, न्यायालय निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगा:

(क) परिवीक्षाधीन अधिकारी ने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ख) उसके कार्य और आचरण के संतोषजनक होने की रिपोर्ट हो;

---

[8] नियम 24 का उप-नियम (5), अधिसूचना संख्या 10/2015/1471/दो-4-2015-36(1)/85, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो; और

(घ) न्यायालय संतुष्ठ हो कि वह पुष्टीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी तब तक उसी रूप में बना रहेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में सेवा में पुष्टीकरण का आदेश पारित नहीं कर दिया जाता।

26. ज्येष्ठता - (1) उन अधिकारियों की ज्येष्ठता, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत पहले से ही सेवा के सदस्य हैं, उक्त नियमावली के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(2) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता, भर्ती के वर्ष और नियम 20 के उप-नियम (3) के अधीन नियुक्ति हेतु तैयार की गई और प्रेषित सूची में दर्शाई गई मेरिट की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(3) सेवा में भर्ती किया गया अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि वह निर्धारित समय या विस्तारित अवधि, जैसी भी स्थिति हो, के भीतर रिक्ति का प्रस्ताव दिए जाने पर बिना किसी वैध कारण के सेवा में कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है।

इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

27. पदोन्नति - (1) सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के संवर्ग में पदोन्नति, उस संवर्ग में विद्यमान रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय द्वारा सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के संवर्ग के सेवा सदस्यों में से की जाएगी।

(2) न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों/सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) पर विचार करने के लिए न्यायालय के तीन माननीय पदस्थ न्यायमूर्तियों की एक चयन समिति नियुक्त करेंगे।

(3) सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नति, ज्येष्ठता-सह-मेरिट के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी।

(4) पदोन्नति के लिए पात्रता का क्षेत्र, पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के चार गुना तक सीमित होगा।

(5) चयन समिति, उप-नियम (4) में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित अधिकारियों के अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात, उनकी एक सूची तैयार करेगी, जो उसकी राय में सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के संवर्ग में पदोन्नत होने के लिए उपयुक्त हैं। अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करते समय, चयन समिति उनके सेवा अभिलेख, योग्यता, चरित्र और वरिष्ठता का सम्यक ध्यान रखेगी। इस सूची में सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से दोगुने अधिकारियों के नाम होंगे।

(6) चयन समिति, इस नियम के उप-नियम (4) के अधीन तैयार की गई सूची को मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित करेगी, साथ ही उन अधिकारियों के नाम भी भेजेगी, जिन्हें समिति की राय में सेवा में पदोन्नति के लिए छोड़ दिया गया है।

(7) न्यायालय, चयन समिति की सिफारिशों का परीक्षण करेगा और पदोन्नति हेतु अंतिम चयन करेगा तथा उन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगा, जिन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना गया है और रिक्तियों पर पदोन्नति पूर्णतः उक्त सूची के अनुसार ही की जाएगी। यह सूची तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि सभी अभ्यर्थियों को पदोन्नत न कर दिया जाए और सूची समाप्त न हो जाए।

भाग VII

वेतन

28. वेतनमान - (1) सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को स्वीकार्य वेतनमान, चाहे वह मूल या स्थानापन्न क्षमता में हो अथवा अस्थायी उपाय के रूप में हो, वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय लागू वेतनमान परिशिष्ट-I में दिए गए हैं।

29. दक्षता रोक पार करने हेतु मानदण्ड - सेवा के किसी भी सदस्य को वेतन के समय-मान में निर्धारित किसी भी स्तर पर दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि न्यायालय द्वारा उसका कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठा संतोषजनक न पाई गई हो।

30. वरिष्ठ वेतनमान और चयन श्रेणी में नियुक्ति - मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर, सेवा का कोई सदस्य जब भी वरिष्ठ वेतनमान या चयन श्रेणी के लिए पात्र हो जाता है, तब न्यायालय उसे ऐसे वेतनमान या श्रेणी प्रदान करने पर विचार करेगा।

31. अवकाश - सेवा के सदस्यों को अवकाश विभाग से संबंधित नहीं माना जाएगा और वे प्रत्येक प्रकार के अवकाश को उसी दर से अर्जित करेंगे जो गैर-अवकाश विभाग से संबंधित सरकारी सेवकों को स्वीकार्य है।

32. प्रतिनियुक्ति - सेवा के संवर्ग के बाहर के किसी पद पर किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना और न्यायालय के अनुमोदन के बिना प्रतिनियुक्त या तैनात नहीं किया जाएगा और ऐसी प्रतिनियुक्ति उतनी अवधि के लिए होगी जो न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

भाग VIII

अन्य उपबंध

33. पक्षप्रचार - इन नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों के अतिरिक्त, लिखित या मौखिक किसी भी अन्य सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।

34. अन्य विषयों का विनियमन - उन विषयों के संबंध में जो विशेष रूप से इन नियमों या विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं आते हैं, सेवा के सदस्य उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो सामान्य रूप से राज्य के कार्यकलापों के संबंध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर लागू होते हैं।

35. सेवा की शर्तों में शिथिलता - जब राज्यपाल का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामले में लागू होने वाले इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए समाप्त या शिथिल कर सकते हैं, जैसा वह मामले को न्यायसंगत और साम्यापूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आवश्यक समझे:

परन्तु यह कि किसी नियम की अपेक्षाओं को समाप्त या शिथिल करने से पूर्व न्यायालय और आयोग से परामर्श किया जाएगा।

36. अधिवर्षिता आयु - सेवा के सदस्यों की अधिवर्षिता आयु निर्धारित करने के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारी (अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति) नियमावली, 1992, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया हो, के प्रावधान लागू होंगे।

37. बढ़ी हुई अधिवर्षिता आयु का लाभ न लेने का विकल्प - जो अधिकारी बढ़ी हुई अधिवर्षिता आयु का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं, वे 57 वर्ष की आयु प्राप्त करने से कम से कम छह माह पूर्व अपना विकल्प दे सकते हैं। अधिकारी द्वारा ऐसा विकल्प दिए जाने की स्थिति में, उसे 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।

38. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई भी बात उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 के अधीन पारित किसी भी आदेश या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

39. निरसन- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

परिशिष्ट-I

[नियम 6(2) और नियम 28(2) देखिए]

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	नियम 4 के खण्ड (ढ) में यथा परिभाषित सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	682	(क) सामान्य वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 (ख) पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर रु. 10,000-325-15,200

2.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे)	339	(क) सामान्य वेतनमान 10,000-325-15,200 (ख) चयन श्रेणी रु. 12,000-375-16,500 नोट- रु. 12,000-375-16,500 की चयन श्रेणी सेवा के उन सदस्यों की संख्या के 20 प्रतिशत तक स्वीकार्य होगी, जो रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में हैं।
3.	उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर निर्दिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त नियम 4 के खण्ड (ण) में यथा परिभाषित सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन),	224	

परिशिष्ट-II

(नियम 19 देखिए)

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम।

परीक्षा में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:-

प्रश्न पत्र संख्या 1 - सामान्य ज्ञान[9]

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।

"सामान्य ज्ञान" का एक प्रश्न पत्र होगा।

इस प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दे और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर आधारित प्रश्न

---

9 अधिसूचना संख्या 781/दो-4-2022-45(32)/2006 दिनांक 07 नवंबर, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

शामिल हो सकते हैं, जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों के प्रति संवेदनशीलता शामिल है, जिसमें विशेष रूप से निम्न अधिनियमों की मुख्य विशेषताओं का संदर्भ होगा: दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016; माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013; गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994; गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971; स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986; और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, इसके अलावा, इसमें भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास से संबंधित विषय भी शामिल होंगे।

इन प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के उनका उत्तर देने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र संख्या 2[10]1010 - अंग्रेजी भाषा

यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट तीन प्रश्न समाविष्ट होंगे:

(i) निबंध: 50 अंक

(ii) संक्षेपण लेखन: 30 अंक

(iii) हिंदी से अंग्रेजी में गद्यांश का अनुवाद: 20 अंक

प्रश्न पत्र संख्या 3[10] - हिंदी भाषा

यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट तीन प्रश्न समाविष्ट होंगे:

(i) निबंध: 50 अंक

(ii) संक्षेपण लेखन: 30 अंक

(iii) अंग्रेजी से हिंदी में गद्यांश का अनुवाद: 20 अंक

---

[10] अधिसूचना संख्या 169/दो-4-2022-45(32)/2006 दिनांक 21 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रश्न पत्र संख्या 4[10] - विधि I (मौलिक विधि)

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।

प्रश्न संग्रह निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे-

संविदा विधि, भागीदारी विधि, सुखाचार और अपकृत्य से संबंधित विधि, संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि जिसमें विशेष रूप से लागू होने वाले साम्या के सिद्धांत सम्मिलित हैं, न्यास विधि और विनिर्दिष्ट अनुतोष के विशेष संदर्भ में साम्या के सिद्धांत, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि और संवैधानिक विधि।

अकेले संवैधानिक विधि के संबंध में 50 अंकों के प्रश्न होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या 5[10] - विधि II (प्रक्रिया और साक्ष्य)

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।

प्रश्न संग्रह निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे-

साक्ष्य विधि, दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें अभिवचन के सिद्धांत सम्मिलित हैं। प्रश्न संग्रह मुख्य रूप से व्यावहारिक मामलों से संबंधित होंगे जैसे कि आरोप और विवादक विरचित करना, गवाहों के साक्ष्य के साथ न्यवहार की विधियां, निर्णय लेखन और सामान्य रूप से वादों का संचालन, किन्तु वे उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या 6[10] - विधि III (दंड, राजस्व और स्थानीय विधियां)[11]1111

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।

प्रश्न संग्रह निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे-

भारतीय दंड संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश नगरीय भवन (किराये पर देने, किराये और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश

---

11 अधिसूचना संख्या 781/दो-4-2022-45(32)/2006 दिनांक 07 नवंबर, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित, जिसे 21 अप्रैल, 2022 से प्रभावी माना जाएगा।

पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर (योजना और विकास) अधिनियम, 1973 और साथ ही उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियम।

स्थानीय विधियों के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। दंड विधियों से संबंधित प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।

संख्या 7^{10} - साक्षात्कार

साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण उसकी मेरिट के संदर्भ में उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव का सम्यक ध्यान रखते हुए किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - अभ्यर्थियों के पास सामान्य ज्ञान और विधि के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में देने का विकल्प होगा।

नोट: (i) साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।

(ii) आयोग के पास किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से मना करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसने विधि के प्रश्न पत्रों में ऐसे अंक प्राप्त न किए हों जो उसे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने से मना करने को न्यायोचित ठहरा सकें।

(iii) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी ऐसी परीक्षा के लिए जिसका विज्ञापन इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व प्रकाशित हो चुका है, ऐसी परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो ऐसे प्रारंभ होने के तुरंत पहले विहित था।